

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:—जनपद—चम्पावत में मंच बकोडा मोटर मार्गके निर्माण हेतु। (FP/UK/ROAD/12159/2016)

**संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS
दिनांक 25.05.2017**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 25.05.2017** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	The GPS coordinate marked digitally on GIS software generated geo-referenced map for the area proposed for diversion may be provided in 200-300m designated place in part I.	प्रस्तावित मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण का जियो रेफरेन्सड डिजिटल मैप भाग-01 के पैरा C के क्रम संख्या- IV में अपलोड कर दिया गया है।
2	GPS coordinate marked digitally on geo referenced map for every corner of land proposed for CA may be uploaded in the designated place in part I.	प्रस्तावित मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण का जियो रेफरेन्सड डिजिटल मैप भाग-01 के पैरा L के क्रम संख्या- V में अपलोड कर दिया गया है।
3	NPV calculated for very dense forest but density 0-6 does not appear to be correct for 57 trees per ha 453 trees to be filled for area 7.9208 ha.	संशोधित एनपीवी0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आनलाईन पार्ट I के एडिशनल इन्फार्मेशन में अपलोड कर दिया गया है।
4	Cost benefit analysis uploaded in part I is not satisfactory. The State Govt may provided C/B analysis as per guideline Annexure VIB and C with cost benefit ratio.	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण आनलाईन पार्ट I में अपलोड कर दिया गया है।
5	The CA area marked for the project is 15 ha. but in general it is twice the area proposed for diversion i.e.7.9208 haX2=15.8416 ha . In this case the State Govt may provide CA scheme accordingly.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 15.8416 हे० भूमि चयनित कर योजना आनलाईन पार्ट I एवं पार्ट 2 में अपलोड कर दिया गया है।
6	As per proposed road is linked with the previously sanctioned road therefore the details of proposal sanctioned in past may be provided in appropriate column of part I.	पूर्व निर्मित चम्पावत-मंच-तामली शासनादेश की छायाप्रति आनलाईन पार्ट I में अपलोड कर दी गयी है।
7	The details provided in additional documents regarding tree felling it is mentioned that 453 trees area to be felled but only 296 tree are shown in part II, may clarify.	उक्त परियोजना में 296 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूची आनलाईन पार्ट I में अपलोड कर दी गयी है।
8	A wildlife details is not provided in part II.	वन्यजीव से सम्बन्धित सूचना आनलाईन पार्ट 2 में अपलोड कर दी गयी है।
9	Part 1,2,3,4 and 5 which is provided in online web portal for the proposal is not enclosed with hard copy.	उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक